राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5899/2024

प्रतीक शर्मा बहन श्री प्रवीण कुमार, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 17, सोनी मार्केट, सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर (राज.)।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, एकीकृत बाल विकास सेवाएं विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, सचिवालय, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।
2. निदेशक, एकीकृत बाल विकास सेवाएं विभाग पंचायती राज, (आईसीडीएस) महिला एवं बाल विकास विभाग, निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), एकीकृत बाल विकास सेवाएं विभाग पंचायती राज, (आईसीडीएस) महिला एवं बाल विकास विभाग, निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
4. बाल विकास परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास सेवाएं, पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़, (राज.)।
5. दिनेश नुवाद, कनिष्ठ सहायक, परियोजना पीलीबंगा (हनुमानगढ़) बाल एवं महिला एवं विकास अधिकारी कार्यालय, पीलीबंगा, हनुमानगढ़।

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री एस.एस. लाद्रेचा।

श्री डी.एस. पिडियार।

प्रतिवादी(गण) के लिए :

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>आदेश</u>

<u>रिपोर्ट करने योग्य</u>

<u>15/04/2024</u>

1. याचिकाकर्ता की शिकायत दिनांक 15.03.2024 के आदेश (अनुलग्नक 3) से उत्पन्न हुई है, जिसके अनुसार याचिकाकर्ता का दिनांक 15.03.2024 का

स्थानांतरण आदेश रद्द कर दिया/वापस ले लिया गया है। याचिकाकर्ता ने कथित रद्दीकरण आदेश से पहले ही स्थानांतरित स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लिया था।

2. दिनांक 15.03.2024 के आदेश (अनुलग्नक 1) के अनुसार, जूनियर असिस्टेंट के पद पर कार्यरत याचिकाकर्ता को प्रोजेक्ट संगरिया (हनुमानगढ़) से प्रोजेक्ट पीलीबंगा (हनुमानगढ़) में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसके अनुसार, याचिकाकर्ता ने उसी दिन प्रोजेक्ट पीलीबंगा में कार्यभार ग्रहण कर लिया। हालाँकि, दिनांक 15.03.2024 के एक अन्य आदेश (अनुलग्नक 3) के अनुसार, याचिकाकर्ता का स्थानांतरण आदेश (अनुलग्नक 1) वापस ले लिया गया है। इसलिए यह याचिका।

3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना है तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।

4. एक बार जब कोई कर्मचारी स्थानांतरित पद पर कार्यभार ग्रहण कर लेता है, तो उसे स्थानांतरित करने वाला प्रशासनिक आदेश निष्पादित हो जाता है, उसे वापस नहीं लिया जा सकता। एक बार लागू होने के बाद, स्थानांतरण आदेश अस्तित्वहीन हो जाता है। निस्संदेह, सक्षम प्राधिकारी को नए आदेश पारित करने की शक्तियां प्राप्त हैं।

5. अनुसुइया बिश्नोई बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य: एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11529/2021 के मामले में दिए गए निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है, जिसका निर्णय इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा 03.09.2021 को किया गया।

6. तथापि, वर्तमान मामले में ऐसा नहीं है, क्योंकि नया आदेश पारित करने के स्थान पर, दिनांक 15.03.2024 के अनुवर्ती आदेश (अनुलग्नक 3) द्वारा पूर्व स्थानांतरण आदेश को वापस लिया जाता है, जिसे यहां चुनौती दी गई है।

7. ऐसा प्रतीत होता है कि चूंकि कोई स्थानांतरण नहीं किया जा सकता, अतः आदर्श आचार संहिता को मात देने के लिए, पूर्व स्थानांतरण आदेश को रद्द करके अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया है, जो पहले ही निष्पादित हो चुका है।

8. उक्त संक्षिप्त आधार पर दिनांक 15.03.2024 का चुनौती आदेश (अनुलग्नक 3) संधारणीय नहीं है, अतः उसे अपास्त किया जाता है।

9. याचिकाकर्ता को पीलीबंगा (हनुमानगढ़) में प्रश्नगत पद पर बने रहने की अनुमति दी जाए, क्योंकि दिनांक 15.03.2024 के आदेश (अनुलग्नक 3) के

अनुसार स्वीकृत स्थिति यह है कि वह पहले ही उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण कर चुका है।

10. उपरोक्त शर्तों के तहत रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।